महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा), तेलंगाना, हैदराबाद- ५००००४
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT),
TELANGANA, HYDERABAD – 500 004.

सत्यमेव जयते

सं.म.ले.(ले.प.)/तेलंगाना/प्रशासन-I/भर्ती/एफ-77ए/खंड III/2024-25/ दिनांक: 04-12-2024

सूचना सं. 80

विषय: महालेखाकार (लेखा परीक्षा), तेलंगाना, हैदराबाद कार्यालय में अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों (वाणिज्यिक) में से परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में।

संख्या 1346-कर्मचारी (एप्लिकेशन-I)/22-2016 दिनांक 26.09.2023 के अधीन जारी मुख्यालय कार्यालय परिपत्र सं.30द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना, हैदराबाद में अल्पावधि अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.सं.	पद/संवर्ग का नाम	रिक्तियाँ	पात्रता
1.	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक)	01	सेवानिवृत व.ले.प.अ. (वाणिज्यिक)

परामर्शदाताओं के संबंध में कर्तव्य/प्रदेय - अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित:

1. तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) की वार्षिक लेखा लेखापरीक्षा (बकाया लेखे)।

2. कंपनियों के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

3. बोर्ड कार्यवृत्त की समीक्षा।

4. निगम/कंपनियों की निरीक्षण रिपोर्ट/मसौदा निरीक्षण रिपोर्ट- प्रबंधन/विभागों से प्राप्त उत्तरों का पुनरीक्षणऔर जांच।

5. प्रस्तावित मसौदा पैरा (पीडीपी)/भाग IIए पैरा/मसौदा पैरा की समीक्षा और तदनुसार जहां संभव हो, तथ्यात्मक नोट/मसौदा पैरा प्रस्तुत करना।

6. राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) पैरा/कार्रवाई नोट (एटीएन) का समाधान।

7. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा मैनुअल का अद्यतन।

8. कंपनियों से प्राप्त उत्तरों, प्राप्त शिकायतों आदि की जांच।

9. लेखापरीक्षा शुल्क, लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएफएआर/राज्य वित्त) आदि से संबंधित सामग्री से संबंधित जानकारी का संग्रह, संकलन और समीक्षा।

10. विशेष रूप से सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

अनुबंध के आधार पर नियुक्त अधिकारियों पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होंगी:

1. दिनांक **19-12-2024** को 65 वर्ष की आयु पार करने वाले किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी को अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

2. सेवानिवृत्त अधिकारी को शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसे प्रदर्शन और सेवा की आवश्यकता के अधीन अधिकतम पांच कार्यकालों या 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता

है।

3. देय पारिश्रमिक और भत्ते भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिनांक 09-12-2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-ई.IIIA द्वारा शासित होंगे।

4. एक निश्चित मासिक राशि स्वीकार्य होगी जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन घटाकर प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी और अनुबंध अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी।

5. अंतिम वेतन से कटौती की जाने वाली मूल पेंशन, सेवानिवृत्ति के समय निर्धारित पेंशन होगी और इस प्रकार, यदि कर्मचारी ने पेंशन के कम्यूटेडमूल्य का लाभ उठाया है, तो पेंशन का कम्यूटेड भाग भी कटौती की जाने वाली पेंशन के हिस्से में शामिल किया जाएगा।

6. अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।

7. कोई एचआरए स्वीकार्य नहीं होगा।

8. निवास और कार्य के स्थान के बीच आवागमन के उद्देश्य से परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि दी जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति के लिए लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निधारित राशि नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार, आधिकारिक दौरे पर टीए/डीए की अनुमति दी जा सकती है।

9. सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिनों की दर से भुगतान की छुट्टी दी जा सकती है। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक छुट्टी के संचय की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, कर्फ्यू, बंद, हड़ताल, लॉकडाउन के दौरान अनुपस्थिति से उसी तरह निपटा जाएगा जैसा कि सेवारत अधिकारियों के मामले में होता है।

10. यदि अनुबंध के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी पैरा 9 में दिए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों से अनुपस्थित रहता है, तो उसके पारिश्रमिक में निम्नलिखित अनुपात के आधार पर कटौती की जाएगी:

(निश्चित मासिक पारिश्रमिक * कार्य दिवसों में अनुपस्थिति के दिनों की संख्या) / 22

11. संघ सरकार द्वारा लगाई गई वैधानिक कटौती नियमों के अनुसार की जाएगी।

12. नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी और किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

13. अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर एक खंड युक्त गोपनीयता के समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

14. नियुक्ति की शर्तों और नियमों को भविष्य में प्राप्त होने वाले किसी भी नए निर्देश के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

सेवानिवृत्त अधिकारी जो उपरोक्त पदों पर विचार किए जाने के इच्छुक हैं, उन्हें संलग्न प्रपत्र में अपना बायोडाटा प्रस्तुत करना होगा तथा यदि उनके पास उपलब्ध हो तो पिछले पांच वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रतियां संलग्न करनी होंगी।

सभी प्रकार से विधिवत भरे गए आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा ईमेल के माध्यम से agautelangana@cag.gov.in पर **19-12-2024** तक हस्ताक्षर सहित नीचे दिए गए पते पर पहुंच जाने चाहिए।

Sub: Engagement of Consultants from among the retired Senior Audit Officers (Commercial) on short-term contract basis in O/o Accountant General (Audit), Telangana, Hyderabad -Reg.

Applications are invited from Retired Senior Audit Officers

(Commercial) to work on short term contract basis in Office of Accountant General (Audit), Telangana, Hyderabad in accordance with Terms and Conditions prescribed by Headquarters Office Circular No. 30 issued under No.1346-Staff (App-I)/22-2016 dated 26.09.2023.

Sl. No.	Name of the post/cadre	Vacancies	Eligibility
1.	Senior Audit Officer (Commercial)	01	Retired SAO (Commercial)

Duties/deliverables in respect of Consultants - proposed for hiring on contract basis:

1. Annual accounts audit (arrear accounts) of Telangana State Road Transport Corporation (TGSRTC).
2. Annual accounts audit of Companies.
3. Inspection Reports/Draft Inspection Reports of the Corporation/Companies- vetting and Examination of replies received from Management/Departments.
4. Review of Board Minutes.
5. Review of Proposed Draft paras (PDPs) / Part II A paras / Draft paras and accordingly
submission of Factual notes/Draft paras where feasible.
6. Reconciliation of Inspection Reports (IRs) paras / Action taken Notes (ATNs) consequent to bifurcation of State.
7. Updation of Commercial Audit Manual.
8. Examination of replies received from the Companies, complaints received etc.
9. Collection, compilation and review of information pertaining to Audit fees, material relating to Audit Report (SFAR/State Finances) etc.
10. Any other work specifically assigned.

The following terms and conditions will be applicable to the contractual officials:

1. No retired officer beyond the age of 65 years as on **19 -12-2024** shall be hired on short term contract basis.
2. The retired official would be initially appointed for a period of one year extendable up to a maximum of five terms or up to the age of 65 years, subject to performance and requirement of service.

3. Remuneration and allowances payable will be governed by GoI MoF OM No. 3-25/2020-E.IIIA dated 09-12-2020.
4. A fixed monthly amount shall be admissible that is arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract and there shall be no annual increment or percentage increase during the contract period.
5. The basic pension to be deducted from the last pay drawn shall be the pension as fixed at the time of retirement and as such, if the employee has availed of commuted value of pension, the commuted portion of pension shall also be included in the portion of pension to be deducted.
6. No Increment and Dearness Allowance shall be allowed during the term of the contract.
7. No HRA shall be admissible.
8. An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment. However, TA/DA may be allowed on official tour, as per their entitlement at the time of retirement.
9. Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service. Accumulation of leave beyond a calendar year may not be allowed. However, absence during curfew, bandh, strike, lockdown shall be dealt with in a similar way as in the case of serving officials.
10. If the retired official hired on contract basis remains absent for reasons other than those at para 9, his/her remuneration shall be deducted on pro-rata basis as under:
(Fixed monthly remuneration * Number of days of absence on working days) / 22
11. Statutory deductions levied by the Union Government shall be made as per rules.
12. The appointment will be purely on temporary basis and is subject to termination at any time.
13. Retired officials selected to be hired on short term contract basis shall sign an agreement of confidentiality containing a clause on ethics and integrity.

14. The terms and conditions of engagement shall be modified in accordance with any new instructions to be received in future.

Retired officials who are willing to be considered for the above assignments are required to submit their bio-data in the enclosed proforma and enclose copies of their APARs for last five years if available with them.

Applications duly filled in all respects must reach the under signed by name either by post or through email at agautelangana@cag.gov.in by **19-12-2024**.

Digitally signed by
S.b.vijayasekhar
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)
Date: 04-12-2024 17:17:52

Distribution:

1. Notice board	2. Secretary to AG
3. AsG Pensioners Association	4. SAO/IS Wing for uploading on main website and issue mails to IA&AD offices as per mailing list